न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–134/17 **धारा–144 दं0प्र0सं0**

मो0 जहीरूद्दीन –बनाम– असगर मियां वगै0

तारीख	–:आदेश:–	अभियुक्ति
25/01/18	प्रथम पक्ष के आवेदन पर दिनांक 01.12.2017 को द्वितीय पक्ष से कारणपृच्छा की मांग की गयी तथा थाना प्रभारी, बरही से भी जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। द्वितीय पक्ष के इस वाद में उपस्थित होने एवं बारम्बार अपना पक्ष रखने का मौका दिये जाने के बावजूद जवाब देने में असफल रहने पर दिनांक 01.12.2017 को प्रश्नगत भूमि के लिये दं0प्र0सं0–144 अन्तर्गत उभय पक्षों पर कार्रवाई आरम्भ किया गया। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया तथा उभय पक्षों से कारणपृच्छा प्राप्त है।	

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है:–
मौजा–गरजामो, थाना– बरही, जिला–हजारीबाग।

खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	चौहदी
52	1976	34 डी0 मधे 30 डी0	उ0–इसी प्लॉट का अंश में मकान जमीन प्लॉट सं0–1975 द0–प्लॉट सं0–1992 पू0–सखावत मियां व भातु मियां प0–इशाक मियां व पेमा मियां
92	1992	20 डी0	उ0–नीज खरीददार द0–सहादत मियां पू0–भातुन मियां प0–पेमा मियां

प्रथम पक्ष ने आवेदन देकर अपने प्रथम आवेदन को ही अपना कारणपृच्छा मानने का अनुरोध किया है। प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उनकी माँ बिबी हालिमा खातुन के नाम से निबंधित केवाला और खतियानी हक से प्रथम पक्ष को प्राप्त है। दिनांक 12.08.2017 को विपक्षीगण बाजबरन प्रश्नगत भूमि हडपने की नियत से चाहरदीवारी तोडते हुए हल चलाने का प्रयास करने लगे जैसे ही इस बात की जानकारी प्रथम पक्ष को हुई प्रथम पक्ष के द्वारा ऐसा करने से मना किया गया, जिसपर सभी विपक्षीगण आग बबुला हो गये तथा प्रथम पक्ष के साथ भद्दी–भद्दी गाली–गलौज एवं मारपीट करने पर उतारू हो गये। प्रथम पक्ष स्थिति की नजाकत को देखते हुए वहाँ से हट गये अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा बडी घटना का अंजाम दिया जा सकता था।

प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया।

द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पुराना केडस्ट्रल सर्वे में खाता सं0–24, प्लॉट सं0–982, रकबा–43 डी0 था, जो विपक्षी के वंशज नीरो मियां के

नाम से खतियान में दर्ज पाया गया, जो गलती से रिविजनल सर्वे में जिसका फाईनल पब्लिकेशन 27.01.1967 को हुआ, उसमें नया खाता सं0–92, नया प्लॉट सं0–1975, रकबा–10 डी0 एवं नया खाता सं0–52, नया प्लॉट सं0–1976, रकबा–34 डी0 हुआ, जिसमें प्लॉट सं0–1975, खाता सं0–92 बुधनी मसो0 तथा प्लॉट सं0–1976, खाता सं0–52 तबारक के नाम से खतियान में भूलवश लिखा गया।

द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि विवादी भूखण्ड पर विपक्षी लोग अपने पूर्वज काल से अभी तक शांतिपूर्ण दखल कब्जा में चले आ रहे है, जिस भूमि पर प्रथम पक्ष कभी भी दखल कब्जा में नहीं थे और न ही अभी है।

यह मुन्सिफ कोर्ट, हजारीबाग में एक टाइटिल सूट फाईल किया गया है, जिसका टाईटिल सूट सं0–94/2011 है, जो असगर मियां वगै0 बनाम मो0 जहिद, पिता–स्व0 तबारक हुसैन वगै0 चल रहा है, जिसका अगला तारीख 17.02.2018 है।

द्वितीय पक्ष ने भी अपने दावे के समर्थन में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया।

उभय पक्षों के कारणपृच्छा एवं अधिवक्ताओं के दलील से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर पूर्व से मुन्सिफ कोर्ट, हजारीबाग में एक टाइटिल सूट सं0–94/2011 उभय पक्षों के बीच चल रहा है, अतः इस न्यायालय में दं0प्र0सं0–144 के अन्तर्गत पुनः विचारण करना उचित प्रतीत नहीं होता है। उभय पक्ष अपना मामला संबंधित टाईटल सूट में रख सकते है।

उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निदेश के साथ वाद की कार्रवाई बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त की जाती है।

इस आदेश के आलोक में कोई भी पक्ष प्रश्नगत भूमि पर अपने स्वत्व (title) का दावा नहीं करेंगा।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग।